RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई, गुरुवार 18 सितम्बर 2025 | वर्ष 07 | अंक 151 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®

खबरें बे-रोकटोक

मुंबई : राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश...

4 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोप में गोरेगांव स्कूल का स्टाफ गिरफ्तार

महाराष्ट्र : गोरेगांव (पश्चिम) के लिंक रोड स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में 16 सितंबर को चार साल की एक बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। गोरेगांव पुलिस ने स्कूल की 40 वर्षीय महिला सहायक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। डिंडोशी स्थित शहर की सिविल एवं सत्र अदालत ने आरोपी को 19 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

परिवार की शिकायत

पुलिस के अनुसार, बच्ची की दादी उसे रोजाना स्कूल छोड़ने और लेने जाती थीं। सोमवार को, जब उसकी दादी स्कूल से घर लौटने के बाद बच्ची के कपड़े बदल रही थीं, तो बच्ची ने शिकायत की कि उसके शरीर के एक खास हिस्से में दर्द हो रहा है। इसके बाद, उसके माता-पिता ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल को सूचित किया, फिर जाँच के लिए एक निजी अस्पताल गए और फिर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

मुंबई : मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर फेंकी गई स्याही...

राज ठाकरे पहुंचे... शिंदे गुट भी भड़का!

> एक राहगीर ने प्रतिमा पर लाल रंग पड़ा देखा, जिसके बाद उसने अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मांसाहेब की प्रतिमा की सफाई की गई. इसी बीच पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी गई. पुलिस ने दोषी का पता लगाने के लिए 8 टीमें गठित की हैं.

शिंदे गुट ने भी जताई आपत्ति

महाराष्ट्र के गृह और राजस्व मंत्री योगेश कदम ने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है. शिंदे गुट के नेता योगेश कदम ने मीनाताई ठाकरे को शिवसैनिकों की ह्यमातृशक्तिह्न बताया और कहा कि उनकी प्रतिमा पर रंग डालना शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़ा है.

बाल ठाकरे के कहने पर बनी थी प्रतिमा

मंत्री ने आगे बताया कि शिवसेना नेता रामदास कदम ने बाल ठाकरे के निर्देश पर मां साहेब की प्रतिमा बनवाई और स्थापित कराई थी. इस घटना पर शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह सरकार की विफलता है. वहीं उद्धव ठाकरे गुट के विधायक महेश सामंन ने मीनाताई ठाकरे को हर कार्यकर्ता के लिए मातृत्व की प्रतीक हैं. उनकी प्रतिमा बुधवार सुबह 6.15 के बाद बिगाड़ी गई है. पुतले पर पेंट डालने वाला व्यक्ति मानस्कि रूप से अस्वस्थ नहीं लग रहा. विधायक ने कहा कि इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब यूबीटी नेता भारत-पाक मैच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

पहले कुत्ते को मारा, फिर आंख निकाली और खेलने लगा गोटी

मुंबई : मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां एक व्यक्ति ने एक आवारा कुत्ते को मार डाला और उसकी आंख निकालकर खेलने लगा। यह चौंकाने वाली घटना मुंबई के बाहरी इलाके मुंब्रा में हुई। पुलिस के मुताबिक, यह घटना मंगलवार शाम को हुई जब एक व्यक्ति ने सड़क पर आवारा कुत्ते पर हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी ने कुत्ते की आंख निकाल ली और राहगीरों के सामने उससे खेलने लगा। लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने तुरंत मुंब्रा पुलिस को सूचना दी।

मुंबई: कस्टम इंस्पेक्टर समेत दो को 5 साल की सजा

सीबीआई अदालत का 32 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में फैसला

मुंबई : सीबीआई अदालत ने 32 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में कस्टम इंस्पेक्टर समेत दो व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने बालाजी जनरल ट्रेडिंग कंपनी को भी दोषी पाया। इसके साथ ही, तीनों पर 5.53 लाख रुपए का जुमार्ना लगाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को फैसले के बारे में जानकारी दी।

यह मामला 20 साल पुराना है। सीबीआई ने इस मामले को 30 अगस्त 2005 को दर्ज किया था। आरोप था कि निजी व्यक्ति, पोलाकी जानकीराम ने दूसरे साथी के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची। इसके लिए जानकीराम ने अपना नाम बदलकर 'पल्ला केशव राव' रखा और फिर श्री बालाजी जनरल ट्रेडिंग कंपनी बनाई। इसके बाद, जानकीराम ने केशव राव के नाम से फर्जी हस्ताक्षर करके विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीएसईजेड) से ट्रेडिंग लाइसेंस और आयात-निर्यात कोड हासिल किया। इसके साथ ही, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत परिसर को वेयरहाउसिंग स्टेशन घोषित करने के लिए आवेदन किया। आरोपों के अनुसार, पी. जानकीराम ने केशव राव बनकर मालीगांव की तीन फर्मों से शुल्क मुक्त सामग्री खरीदी। इसके बाद उसने आरोपी कस्टम इंस्पेक्टर कालका रामदास और अन्य के साथ साजिश रचकर आयात-निर्यात नीति दिशानिदेशों का उल्लंघन किया। उन्होंने इन सामग्रियों को मुंबई की फर्मों को एडवांस रिलीज ऑर्डर (एआरओ) के जरिए धोखाधड़ी से निर्यात के रूप में मंजूरी दी और इस तरह खरीदी गई सामग्री पर 32.28 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क की धोखाधड़ी हुई। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 29 अगस्त 2008 को मामले में चार्जशीट दाखिल किया। चार्जशीट के समय आरोपी कालका रामदास (कस्टम इंस्पेक्टर) विशाखापत्तनम में सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय में अधीक्षक थे। लंबी सुनवाई के बाद, कोर्ट ने इन आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

नृत्यांगना पूजा गायकवाड़ गोविंद बर्गे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार

बीड: पूर्व उप-सरपंच गोविंद बर्गे (निवासी लुका तालुका गेवराई, जिला बीड) मसाला ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नृत्यांगना पूजा गायकवाड़ को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोविंद बर्गे का पिंपलगांव के तुलजाई कला केंद्र और उसके पैतृक गाँव ससुरे की नर्तकी पूजा गायकवाड़ के साथ प्रेम संबंध था। इसी प्रेम संबंध के चलते बर्गे ने पूजा पर लाखों रुपये खर्च किए।

उन्होंने घर बनवाया, पैसे और सोना दिया, लेकिन... उन्होंने ससुरे में घर बनवाया, मानेगांव की सीमा के भीतर वैराग में एक प्लॉट खरीदा, सोने के सिक्के, पैसे सब कुछ दिया, लेकिन पूजा को गेवराई में बर्गे द्वारा बनवाए गए बंगले से प्यार हो गया। इससे पूजा और गोविंद के बीच अनबन हो गई। इसी अवसाद में बर्गे ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूजा गायकवाड़ की जेल में रहने की अवधि इस तरह बढ़ी इस मामले में पूजा को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। शुरूआत में अदालत ने उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

वक्फ पर 'अंतरिम निष्कर्ष'...

वक्फ संशोधन कानून, 2025 पर सर्वोच्च अदालत का सीमित हस्तक्षेप बौद्धिक न्यायिक सोच का एक अच्छा उदाहरण है। अदालत ने कानून पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया, क्योंकि उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं था, लेकिन कानून के कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक जरूर लगाई है, क्योंकि वे संविधान की हदें लांघते नजर आए और धार्मिक स्वतंत्रता छिनती भी लगी। शीर्ष अदालत ने व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों का फैसला करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं दिया, लिहाजा कानून में कलेक्टर की भूमिका को सीमित कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक समीक्षा यह रही कि अदालत ने 5 साल से मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी। न्यायिक पीठ ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस संदर्भ में कोई नियम-कानून नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं, तब तक तत्काल प्रभाव से इस प्रावधान पर रोक लगाई जाती है। शीर्ष अदालत ने यह भी तय कर दिया कि राज्य के वक्फ बोर्ड परिषद में अधिकतम 3 और केंद्रीय परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे। वक्फ बोर्ड का सीईओ भी यथासंभव मुसलमान होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान 1995 और 2013 के कानूनों में भी था और अब फिर से लागू किया गया है। इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के बिना किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता और न ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई बदलाव किया जा सकता है।

ऐसी न्यायिक समीक्षा के साथ प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने वक्फ संशोधन कानून पर अस्थायी और शुरूआती विचार दिया है। यह सर्वोच्च अदालत का अंतरिम फैसला है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस गवई के अनुसार, यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है। फिलहाल हमने इतना ही देखा है कि क्या कानून अथवा उसकी किसी धारा पर तुरंत रोक लगाई जाए अथवा नहीं? बहरहाल अंतरिम निष्कर्ष से ही सत्ता और विपक्ष दोनों संतुष्ट हैं और अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जिन आधारों पर 20 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थीं, उन पर शिकायतकर्ताओं को हताशा मिली है। यह न्यायिक निष्कर्ष किसी के भी गाल पर तमाचा नहीं है, बल्कि अदालत की सोच रही है कि देश में अमन-चैन, भाईचारा बना रहे।

Rokthok Lekhani News Update
WhatsApp group

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई : राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश...

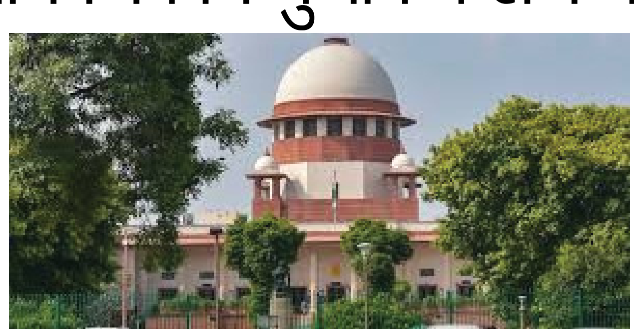

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस फैसले पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव निर्धारित समयसीमा में हर हाल में पूरे किए जाएं। इस निर्देश के बाद राज्य सरकार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है। हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है।''

उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कोर्ट के निदेर्शों का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराएगी। वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, ''पिछले चार साल से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए, जिसके कारण नागरिक व्यवस्था चरमरा गई है। फंड का अभाव और अधिकारियों की मनमानी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। सरकार को बिना देरी किए 31 जनवरी से पहले पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने चाहिए।''

आजमी ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन हेरफेर और देरी के कारण ऐसा नहीं हो सका। मैं मांग करता हूं कि कोर्ट के निदेर्शों का तत्काल पालन हो। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ''मुंबई में पिछले तीन-चार साल से निगम चुनाव नहीं हुए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे।''

गायकवाड़ ने पहले के कोर्ट के निदेर्शों का हवाला देते हुए कहा कि बार-बार देरी से जनता का विश्वास कम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए तय समयसीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया गया है कि दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपें, ताकि चुनाव की तैयारियों में किसी तरह की देरी न हो।

बेलापुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क से सटी दीवार जर्जर हो गई...

यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा!

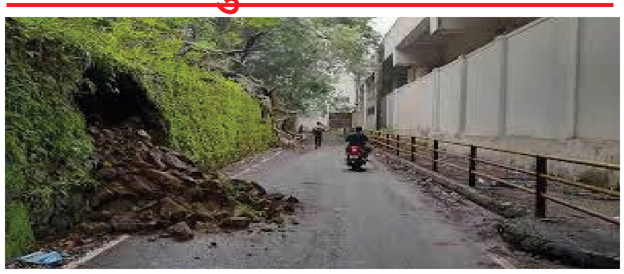

बेलापुर : अर्बन हाट और बेलापुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क, जिसका इस्तेमाल हजारों यात्री रोजाना करते हैं, खतरनाक हो गई है क्योंकि इससे सटी दीवार जर्जर हो गई है। दीवार के कुछ हिस्से दो जगहों पर ढहकर सीधे सड़क पर आ गए हैं, जिससे पैदल यात्रियों और रेल यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सजग नागरिक मंच के एक सदस्य ने कहा, ''अग्रोली, सेक्टर 30-31 और इनकम टैक्स कॉलोनी के निवासी रोजाना इसी रास्ते से यात्रा करते हैं। लगातार यात्रियों की आवाजाही के कारण, नागरिकों को डर है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है।'' मंच ने बताया कि लगातार मरम्मत के बाद, तीन महीने पहले ही इस सड़क पर डामरीकरण किया गया था। हालाँकि, इसकी तेजी से हो रही गिरावट ने सिडको द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा, बेलापुर रेलवे स्टेशन भवन के अंदर बने शौचालयों का गंदा पानी सटे हुए फुटपाथ पर बह रहा है, जिससे दुर्गंध और अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा हो रही है।

फुटपाथ गंदगी का अड्डा बन गया है। रेल यात्रियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि शहर के योजनाकार के रूप में सिडको को केवल नए निमार्णों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि मौजूदा बुनियादी ढाँचे को भी बनाए रखना चाहिए। अन्यथा, इस सड़क को तत्काल नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) को सौंप दिया जाना चाहिए। नागरिकों ने यह भी बताया है कि बेलापुर स्टेशन के दोनों ओर लगे पेवर ब्लॉक धँस गए हैं, जिससे गड्ढे बन गए हैं। विडंबना यह है कि इसी स्टेशन क्षेत्र में सिडको के कई कार्यालय स्थित हैं, फिर भी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता।

मुंबई: "जॉली एलएलबी 3" के खिलाफ एक याचिका खारिज

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा ''जॉली एलएलबी 3'' के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें जजों और वकीलों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा, ''हमारी चिंता मत करो।'' एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस द्वारा अधिवक्ता चंद्रकांत गायकवाड़ के माध्यम से दायर याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और 'भाई वकील है' गाने को हटाने की मांग की गई थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह कानूनी पेशे के लिए अपमानजनक है।

याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने कहा कि फिल्म और गाना न केवल वकीलों का, बल्कि जजों का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि एक दृश्य में जजों को ''मामू'' कहा गया है, जो एक ऐसी गाली है जो न्यायपालिका के लिए अपमानजनक और अपमानजनक है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने इस पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ''हम पहले दिन से ही उपहास का शिकार हो रहे हैं। हमारी चिंता मत कीजिए।'' फिल्म निमार्ताओं ने पीठ को बताया कि फिल्म के खिलाफ इसी तरह की एक याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

मुंबई : 30 सितंबर को पीएम मुंबई के वर्ली से कफ परेड तक की अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन करेंगे...

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को मुंबई जाएंगे. इस दौरान वो मुंबईवासियों को बड़ी सौगात देंगे. पीएम मुंबई के वर्ली से कफ परेड तक की अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. इस मेट्रो का फर्स्ट फेज सिप्ज एमआईडीसी से आचार्य अत्रे मेट्रो स्टेशन तक शुरू है. पीएम मोदी दूसरे फेज का उद्घाटन करेंगे. मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक इस मेट्रो सर्विस की लाइन 33.5 किमी लंबी होगी. बताया जा रहा है कि इसमें कुल 27 स्टेशन होंगे जिसमें 26 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगी. आरे से वर्ली तक का लगभग 22.5 किमी का हिस्सा पहले से ही शुरू किया जा चुका है. वहीं अब कफ परेड से लेकर वर्ली तक का 11 किमी वाला दूसरा फेज भी आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा.

सफर की दूरी होगी कम

बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड मेट्रो के इस फेज के उद्घाटन के बाद कोलाबा से आरे कॉलोनी तक का सफर एक घंटे से कम समय में पूरा किया जा सकेगा. यानि सड़क के 2-3 घंटे का सफर इस मेट्रो से बहुत कम समय में पूरा होगा. साथ ही यात्रियों का सफर भी आराम दायक रहेगा.

क्या बोले सीएम फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो की जानकारी देते हुए बताया कि आपने (विपक्ष) इतने सालों तक बीडीडी चॉल को विकसित नहीं होने दिया. इस देवा भाऊ ने इसे विकसित किया. उन्होंने कहा कि यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है. सीएम ने कहा कि 120 फुट की जगह थी, एक मराठी व्यक्ति 520 फुट के घर में चला गया. प्रवीण दारेकर की वजह से, अभ्युदय नगर का एक मराठी व्यक्ति 600 फुट के घर में जाएगा.

सीएम ने कहा कि हमने गिरगांव में पुनर्वास भवन भी बनाए. 1600 परियोजनाएं स्व-पुनर्विकास में चली गईं. उन्होंने कहा कि क्या आप इनमें से कम से कम एक भी कर पाए हैं? मुंबई की क्या हालत है जो आपने की है? 2000 के बाद, आपने लगातार मुंबई को पीछे रखने की कोशिश की है. देवेंद्र फडणवीस ने कहा पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मुंबई स्टार्टअप की राजधानी बन गई है. इस देश का अगला बदलाव डेटा सेंटर है, इसकी 60 फीसदी क्षमता महाराष्ट्र ने पूरी की है. अगर यह अगली क्रांति है, यह महाराष्ट्र का होगा.

मुंबई : ''होटल में बम है, मुंबई को उड़ा देंगे,'' होटल 'आरिका' की लैंडलाइन पर धमकी भरा फोन

मुंबई : अंधेरी पूर्व चकाला इलाके में स्थित होटल 'आरिका' की लैंडलाइन पर धमकी भरा फोन आया. धमकी देने वाले शख्स ने हिंदी में कहा, ''होटल में बम है, मुंबई को उड़ा देंगे,'' और तुरंत फोन काट दिया. इस फोन के बाद होटल में हलचल मच गई और प्रशासन ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी. होटल के मैनेजमेंट ने बताया कि फोन के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया. होटल स्टाफ ने भी अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर रखा. होटल के अंदर और बाहर तलाशी अभियान चलाया गया ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या खतरनाक चीज को समय रहते पकड़ा जा सके.

पुलिस ने की होटल की जांच

पुलिस ने तुरंत घटना की गंभीरता को समझते हुए होटल की पूरी तलाशी ली. होटल के सभी हिस्सों, कमरे, लॉबी, किचन और पार्किंग एरिया की जांच की गई, लेकिन किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला. पुलिस ने बताया कि फिलहाल होटल में सभी मेहमान और स्टाफ सुरक्षित हैं और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ.

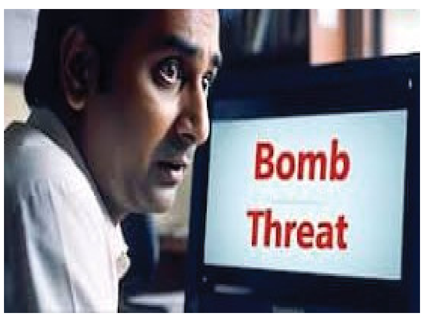

फोन करने वाले की तलाश जारी

पुलिस ने कहा कि वह फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है. पुलिस कंट्रोल रूम और साइबर सेल की मदद से कॉल रिकॉर्ड ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की अफवाहों या अनजाने में फैलाए गए खतरनाक संदेशों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

होटल और इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

होटल और आसपास के इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. होटल प्रशासन ने भी अपने सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी है और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और मजबूत कर दी है. होटल के मेहमानों को भी किसी तरह की घबराहट नहीं करने की सलाह दी गई है.

मुंबई : 'आवाज मुंबईकरंचा' (मुंबईकरों की आवाज) नाम से एक मंच – गूगल फॉर्म – लॉन्च

मुंबई : भाजपा ने नागरिकों के लिए 'आवाज मुंबईकरंचा' (मुंबईकरों की आवाज) नाम से एक मंच - गूगल फॉर्म - लॉन्च किया है ताकि वे अपने प्रतिनिधियों से अपनी समस्याएँ, माँगें और अपेक्षाएँ दर्ज करा सकें। यह बीएमसी चुनावों से पहले भाजपा के अभियान का हिस्सा है।

इस विशेष मंच का शुभारंभ वर्ली के एनएससीआई डोम में आयोजित भाजपा के विशाल अधिवेशन में किया गया; जहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम, प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुंबई के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, आशीष शेलार और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे।

वैतरणा नदी में शव बरामद... आरोपियों की तलाश तेज

पालघर : पालघर के मोखाड़ा तहसील में वैतरणा नदी में हत्या के बाद बरामद शव के मामले में आरोपियों की तलाश तेज करने के लिए पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने जानकारी देने वालों को 50 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। दरअसल, 12 जुलाई को मोखाड़ा तहसील के खोडालाझ्रकसारा रोड किनारे नदी से पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया था। दोनों पैर जंगली बेल से बंधे थे।

पोस्टमार्टम और जांच के बाद शव की पहचान शरद कोंडाजी बोडके (31), निवासी मोडाले, इगतपुरी (जिला नाशिक) के रूप में हुई। शव की पुष्टि उसकी पत्नी और बहन ने की।पुलिस का मानना है कि अज्ञात लोगों ने शरद की बेरहमी से हत्या कर उसका शव नदी में फेंक दिया। मोखाड़ा थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन इनाम की घोषणा के बाद पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है।

मुंबई : फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 13 लोग गिरफ्तार...

मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोरेगांव में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो विदेशी नागरिकों को ठग रहा था। इस मामले में दो मालिकों, एक मैनेजर और दस टेलीकॉलर एजेंटों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर छापेमारी पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच की यूनिट 12 को सूचना मिली थी कि गोरेगांव (पूर्व) स्थित विहान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सातवीं मंजिल पर स्थित एक कॉल सेंटर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने परिसर में छापेमारी की।

मुंबई : सात झीलों में जल भंडार कुल क्षमता के 98.82% तक पहुँच गया

मुंबई : मुंबई की सात झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से लगातार और भारी बारिश ने शहर के जल भंडार को बढ़ा दिया है। मंगलवार तक, कुल जल भंडार कुल क्षमता के 98.82% तक पहुँच गया है, जो पिछले तीन वर्षों में दर्ज किया गया उच्चतम स्तर 14.30 लाख मिलियन लीटर (एमएल) है। तीन झीलें लबालब, अन्य पूरी क्षमता के करीब मोदक सागर, तुलसी और विहार झीलें दूसरी बार लबालब भर चुकी हैं, जबकि शेष झीलें, तानसा, ऊपरी वैतरणा, मध्य वैतरणा और भातसा, पूरी क्षमता तक पहुँचने के कगार पर हैं। मुंबई को पूरे वर्ष निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 अक्टूबर तक कम से कम 14.47 लाख मिलियन लीटर संयुक्त झील भंडार की आवश्यकता है। अभी दो सप्ताह से अधिक समय बाकी है और आगे भी बारिश की उम्मीद है, इसलिए अधिकारी इस लक्ष्य को पूरा करने और संभवतः इससे अधिक होने के प्रति आशावादी हैं।

मुंबई : शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत; तीन आरोपियों को पुलिस हिरासत

मुंबई : शराब पीकर गाड़ी चलाने के एक चौंकाने वाले मामले में, जिसमें एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, विक्रोली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। घाटकोपर के एलबीएस रोड पर एक तेज रफ़्तार दुर्घटना के सिलसिले में, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और सड़क किनारे की संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा, आरोपी भाविका दामा-भानुशाली (30), उसके दोस्त खोर्रम भानुशाली (30) और अनिकेत बंसोड़े को गिरफ्तार किया गया। घाटकोपर पुलिस के अनुसार, यह दुखद घटना 13 सितंबर की सुबह लगभग 6:15 बजे घाटकोपर के एक्सेल आर्केड बिल्डिंग के सामने एलबीएस रोड पर हुई। कथित तौर पर नशे में गाड़ी चला रही भाविका ने नाश्ते के लिए कुर्ला के फीनिक्स मॉल जाते समय अपनी किआ एसयूवी (GJ 15 CK 4411) पर नियंत्रण खो दिया।

वसई : चार नाबालिग स्कूली छात्राओं का पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में दो गिरफ्तार

वसई : वसई की मानिकपुर पुलिस ने चार नाबालिग स्कूली छात्राओं का पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच हुई। वसई (पश्चिम) निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी और उसकी तीन सहेलियों - सभी नौवीं कक्षा की छात्राएँ - को स्कूल से घर लौटते समय दो लोगों ने परेशान किया। आरोपी, एक 20 वर्षीय युवक और उसका दोस्त, कथित तौर पर स्कूटर पर लड़कियों का पीछा कर रहे थे। कथित तौर पर, उन लोगों ने उन पर अश्लील टिप्पणियाँ कीं, जिससे वे डर और परेशानी में पड़ गईं।

ठाणे: कई हिस्सों में शुक्रवार, 19 सितंबर को जल आपूर्ति बाधित

ठाणे: ठाणे नगर निगम (टीएमसी) ने एमआईडीसी के जल शोधन केंद्र में मरम्मत कार्य के कारण शुक्रवार, 19 सितंबर को ठाणे के कई हिस्सों में जल आपूर्ति बाधित रहने की घोषणा की है। जांभुल संयंत्र का रखरखाव केडीएमसी अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का जांभुल जल शोधन संयंत्र तत्काल रखरखाव और जल चैनलों के उन्नयन के लिए बंद रहेगा।

मुंबई : 20 सितंबर से मोनोरेल सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा

मुंबई : मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने मुंबई मोनोरेल के आधुनिकीकरण और भविष्य के लिए इसे तैयार करने के उद्देश्य से 20 सितंबर से मोनोरेल सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। यह फैसला मोनोरेल सिस्टम को मजबूत, सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए लिया गया है ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके। मुंबई मोनोरेल में पहली बार स्वदेशी रूप से हैदराबाद में विकसित सीबीटीसी (संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण) सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। 5 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 32 स्थानों पर लगाए जा चुके हैं, जिसका परीक्षण जारी है। 260 वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स, 500 आरएफआईडी टैग्स, 90 ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम और कई डब्ल्यूएटीसी यूनिट्स पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। वे-साइड सिग्नलिंग का काम पूरा हो चुका है। अब एकीकृत परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

एमएमआरडीए ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत 'मेधा' और 'एसएमएच रेल' के सहयोग से 10 नई अत्याधुनिक रेक खरीदी हैं, जिनमें 8 रेक पहले ही डिलीवर हो चुकी हैं। 9वीं रेक निरीक्षण के

लिए तैयार है और 10वीं रेक अंतिम असेंबली में है। वर्तमान में मोनोरेल सेवाएं रोजाना सुबह 6:15 बजे से रात 11:30 बजे तक चलती हैं। ऐसे में सिर्फ 3.5 घंटे रात में सिस्टम इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के लिए मिलते हैं। हर बार पॉवर रेल को बंद, डिस्चार्ज और फिर से चालू करना पड़ता है, जिससे काम की गति धीमी हो जाती है। इस अस्थायी ब्लॉक में नए रेक और सिग्नलिंग सिस्टम का अविरल इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग होगा। पुराने रेक का पूरा ओवरऑल और रेट्रोफिटमेंट किया जाएगा ताकि वे बिना किसी तकनीकी खराबी के फिर से सेवा में लौट सकें। पिछले कुछ हफ्तों में तकनीकी समस्याओं के कारण सेवाओं में रुकावटें आई थीं। इसके समाधान के लिए एमएमआरडीए ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया है और यह अस्थायी रोक उसी दिशा में एक ठोस कदम है।

अब, चेंबूर से संत गाडगे महाराज चौक के बीच की सभी मोनोरेल सेवाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना इस अनुसार बनाएं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं एमएमआरडीए अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने कहा, ''मोनोरेल का यह ब्लॉक मुंबई के परिवहन ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। नए रेक, उन्नत सिग्नलिंग और पुरानी ट्रेनों की मरम्मत से यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा मिलेगी। एमएमआरडीए के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर आईएएस डॉ. संजय मुखर्जी ने कहा, ''यह अस्थायी ब्लॉक पूरी योजना के तहत लिया गया है। इससे मोनोरेल पहले से कहीं अधिक सक्षम, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार होगी। हम नागरिकों के धैर्य की सराहना करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि जब मोनोरेल लौटेगी, तो और बेहतर सेवा लेकर लौटेगी।''

ठाणे : चार लोगों ने मामूली विवाद में अपने दोस्त की कर दी हत्या

ठाणे : शाहपुर तालुका के कुकम्बे इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ चार लोगों ने मामूली विवाद में अपने दोस्त की कथित तौर पर हत्या कर दी। शाहपुर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी तीन की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, कुकम्बे इलाके की एक सड़क पर रामदास गोरखाने पर उसके दोस्तों योगेश सोनावाले, महेश निमसे, धनंजय सोगीर और सुनील निमसे ने लाठियों से हमला किया। रामदास के भतीजे सुनील साल्कर ने हमला देखा और बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने कथित तौर पर उस पर भी हमला किया। हमले के बाद, आरोपी रामदास को एक वाहन में ले गए, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है। बाद में, मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे, रामदास रतनधाले इलाके में समृद्धि राजमार्ग के पास पाए गए। उन्हें शाहपुर उप-जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुनील साल्कर की शिकायत के आधार पर, शाहपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, जैसा कि बताया गया है। एक आरोपी सुनील निमसे को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी तीन को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। ठाणे शहर से अपराध की अन्य खबरों में, रविवार को भिवंडी के अमपाड़ा इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय में प्लास्टिक की बाल्टी को लेकर हुए हिंसक विवाद में 22 वर्षीय एक युवक के अंगूठे और घुटने पर काटने की खबर है।

पुलिस के अनुसार, बहस तब शुरू हुई जब पीड़ित ने शौचालय में बाल्टी रखी और 32 वर्षीय रियाज अहमद राहील अंदर घुस गया और कथित तौर पर उसे लात मारी। जब युवक और उसकी 14 वर्षीय बहन ने उसका विरोध किया, तो रियाज कथित तौर पर आक्रामक हो गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, युवक को मुक्का मारा और उसके अंगूठे और घुटने पर काट लिया, जिससे चोटें दिखाई दे रही हैं। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 117(2), 115(2) और 352 (आईपीसी 2023) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी तक, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मुंबई : छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक जब्त

मुंबई : वित्त मंत्रालय के अनुसार, चल रहे अखिल भारतीय ''ऑपरेशन वीड आउट'' के हिस्से के रूप में, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खरपतवार जब्त किया है । स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत एक समन्वित अभियान में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने बैंकॉक से आ रहे दो भारतीय नागरिकों को रोका। उनके चेक-इन सामान की गहन जाँच के बाद, 39.2 किलोग्राम वजन वाले हाइड्रोपोनिक गांजे के 39 पैकेट बरामद हुए। तुरंत

कार्रवाई के बाद, इच्छित प्राप्तकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य मामले में, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई के अधिकारियों ने बैंकॉक, थाईलैंड से मुंबई में तस्करी करके लाए जा रहे 7.8 किलोग्राम (सकल वजन) हाइड्रोपोनिक खरपतवार को जब्त किया और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो यात्रियों को गिरफ्तार किया। डीआरआई ने 26 अगस्त से 12 सितंबर 2025 की अवधि के दौरान जयपुर, लखनऊ और कोलकाता सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में बैंकॉक, थाईलैंड से तस्करी करके भारत में लाए जा रहे 61.67 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड को अलग से जब्त किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले 20 और 21 अगस्त 2025 को अखिल भारतीय अभियान में डीआरआई ने 1.02 करोड़ रुपये की अवैध आय के साथ लगभग 72 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 72.024 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक खरपतवार जब्त की थी और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत फाइनेंसरों और एक मास्टरमाइंड सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले एक साल में, विभिन्न हवाई अड्डों के जरिए थाईलैंड से भारत में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के प्रयासों में तेजी से वृद्धि हुई है। डीआरआई देश में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी करने वाले ऐसे ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है, जिससे भारत सरकार के नशा मुक्त भारत के सपने को बल मिल रहा है।

मुंबई: कुत्ते पर बेरहमी से हमला; दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग

मुंबई: शहर में पशु क्रूरता का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जब होटल कर्मचारियों द्वारा मर्फी नाम के साढ़े तीन साल के एक आवारा कुत्ते पर बेरहमी से हमला किया गया।

वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पुष्टि की गई इस घटना की नागरिकों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने व्यापक निंदा की है। दो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक सहकर्मी और पास के एक चाय की दुकान पर काम करने वाले मर्फी, जो इलाके में एक मिलनसार आवारा कुत्ता था, को कम से कम चार होटल कर्मचारियों ने कपड़े से बाँधकर डंडों और पत्थरों से पीटा।

प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि हमला बिना उकसावे के किया गया था, क्योंकि कुत्ते ने कभी किसी के प्रति आक्रामकता नहीं दिखाई थी और वह राहगीरों के साथ सौम्य व्यवहार करने के लिए जाना जाता था। यह घटना मीरा रोड स्थित शक्ति टॉवर के पास हुई। पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इस बर्बर कृत्य पर क्षोभ व्यक्त किया और दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मर्फी के समर्थन और अपराधियों के खिलाफ आक्रोश के संदेशों से भर गए हैं, और कई लोगों ने भारत में पशु संरक्षण कानूनों को और सख्त ढंग से लागू करने की मांग की है।

संपर्क कार्यालय : रोहिरा हाउस फ्लैट नो 8 दूसरा माला पाकीजा बेकरी के सामने कैडल रोड माहिम पश्चिम मुंबई ४०००१६
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com